कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–सलूम्बर, राज.

कमांक : 19 **दिनांक : 18.04.2026**

संशोधित कार्यालय आदेश

मैं विनीत कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–सलूम्बर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) व 450 (1) मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक कारणों से **माह अप्रेल, 2026** की रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बंध मे इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश कमांक : **18** दिनांक **27.03.2026** मे आंशिक संशोधन कर सलूम्बर न्याय क्षेत्र में स्थित न्यायिक न्यायालयों से संबद्ध आरक्षी केन्द्रो से सम्बंधित आवश्यक दाण्डिक कार्य यथा अभियुक्तगण की रिमाण्ड सम्बधी कार्य तथा जमानत प्रार्थना–पत्र, सुपुर्दगी, धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान एवं अतिआवश्यक कार्य जैसे–मृत्यु कालीन कथन, मृत्यु समीक्षा (Inquest), प्रोटोकॉल एवं अन्य (जिन्हें अद्योहस्ताक्षरकर्ता तत्समय अतिआवश्यक प्रकृति का निर्धारित करें) का निस्तारण/सुनवाई करने के लिए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निम्न अवकाश दिनांक के लिए समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम के लिए अधिकृत करता हूँ–

April, 2026 Remand Duty			
क.सं.	**अवकाश की दिनांक**	**न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन**	**मोबाईल नंबर**
1.	19.04.2026	श्री विनीत कुमार, CJM, Salumber	9785985360

नोट :–

(1) उपर्युक्त वर्णित सारणी के अतिरिक्त, उक्त वर्णित अवकाश में जिला मुख्यालय, सलूम्बर से बाहर के दंडाधिकारी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के पदस्थापन क्षेत्र में उपस्थित रहने पर उनकी क्षेत्राधिकारिता में आने वाले आरक्षी केन्द्रों से सम्बंधित उपर्युक्त आवश्यक कार्य उनके स्वयं के द्वारा ही किए जाएंगे।

(2) उक्त वर्णित अधिकारी अपने रिमाण्ड ड्यूटी दिवस पर बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे व न्यायालय समय पश्चात् अपने आवास पर रहकर उपर्युक्त कार्य संपादित करेंगे।

(3) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्यदिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी।

(4) उपरोक्त अवधि में उक्त पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है तो उनके स्थान पर उक्त पीठासीन अधिकारी का रिमांड ड्यूटी करने हेतु विशेष कारण उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमांड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न की जावेगी।

(5) समस्त थानाधिकारी अभियुक्त/अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश करें तथा विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही अभियुक्त/अभियुक्तगण को निवास पर पेश किया जावे। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(6) शेष अवकाश दिनांकों के सम्बंध में कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक : **18** दिनांक **27.03.2026** यथावत प्रवर्तनीय रहेगा।

18.4.26

(विनीत कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला–सलूम्बर (राज.)

कमांक : स्था/2026/219-226 **दिनांक : 18.04.2026**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ निम्न को जरिए ई–मेल प्रेषित है –

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जिला–सलूम्बर
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, जिला–सलूम्बर को अधीनस्थ थानाधिकारियों द्वारा उक्त निर्धारित समय पर रिमांड आदि प्रस्तुत करवाए जाने हेतु।
3. सलूम्बर न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ दंडाधिकारी न्यायालय।
4. सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग को सहायक अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी की ड्यूटी की व्यवस्था हेतु।
5. पुलिस कंट्रोल रूम, जिला–सलूम्बर।
6. अध्यक्ष, बार एसोसियशन, जिला–सलूम्बर।

18.4.26

(विनीत कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला–सलूम्बर (राज.)